

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या 05/23

भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

GCMS Portal-2024/5

सरकार

बनाम

पप्पूराम पुत्र मोहनराम

जाति—गाडिया लौहार, निवासी—उटाम्बर

निर्णय दिनांक— 18 जून 2024

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि पटवारी हल्का उटाम्बर ने अप्रार्थी के विरुद्ध रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया कि अप्रार्थी ने ग्राम उटाम्बर के खसरा नम्बर 172 किस्म गै.मु.गोचर की रकबा 0.0084 है. राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से पक्का मकान व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है अप्रार्थी के विरुद्ध आर.एल.आर.एक्ट. 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जावे। हमने पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया। बावजूद नोटिस तामिल के अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित।

।

पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी भूमि आवंटन नियमन की शर्तें पूरी नहीं करता है अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है व मौके से बेदखल करने का आदेश पटवारी हल्का को दिया जाता है तथा दण्ड स्वरूप लगान का 50 गुणा राशि रूपये 10 अक्षरे दस रूपये मात्र जुर्माना आरोपित किया जाता है।

पटवारी हल्का अप्रार्थी को मौके से बेदखल करे एवं आरोपित जुर्माना राशि वसूल कर राजकोष में जमा करावें। त.रा.ले. से मांग कायम होकर पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय भरे इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार बालेसर



Signature valid

RajKaj Ref
8124248



Digitally signed by Ratan Bhawani
Designation: Tehsildar
Date: 2024.06.18 10:55:09 IST
Reason: Approved